



डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2019/०४५५

दिनांक : 21.1.2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,

समस्त अनुदानित, राजकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
(मेडिकल, डेण्टल, नर्सिंग एवं आयुर्वेद सहित)

सम्बद्ध डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

विषय: पर्यावरण (सुरक्षा) एक्ट 1986 के अन्तर्गत महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित पर्यावरण माप दण्ड के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक: डिग्री विकास/15646-47/2018-19 दिनांक 08-01-2019 में उल्लेखित निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धक को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में पर्यावरण (सुरक्षा) एक्ट 1986 के अन्तर्गत निर्धारित पर्यावरण माप दण्ड के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

कूलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (उच्च शिक्षा) अर्थ एवं डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 4. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र एवं संलग्नक को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


कूलसचिव